

भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. #5289
दिनांक 02.04.2025 को उत्तर देने के लिए

अवैध खनन को रोकने हेतु जियो-टैगिंग

#5289. श्री प्रदीप पुरोहितः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ओडिशा में अवैध खनन की निगरानी करने और उसे रोकने के लिए जियो-टैगिंग अथवा अन्य भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) ओडिशा में महत्वपूर्ण खनिज भंडारों का व्यौरा क्या है;
- (घ) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अथवा अन्य एजेंसियों ने महत्वपूर्ण खनिजों का पता लगाया है;
- (ड) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (च) आवंटित खानों और घोटाला अवधि में शामिल कंपनियों का व्यौरा क्या है; और
- (छ) खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

- (क) और (ख) सरकार ने अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी और रोकथाम के लिए जीआईएस और सैटेलाइट इमेजरी जैसी भू-स्थानिक तकनीकों का उपयोग शुरू कर दिया है। खान मंत्रालय ने अक्टूबर 2016 में खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) शुरू की है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अवैध खनन की घटनाओं का पता लगाने और

उनकी जांच के लिए पट्टा सीमा के बाहर 500 मीटर तक के क्षेत्र की निगरानी के लिए एक प्रणाली विकसित करना है। एमएसएस को भारतीय खान व्यूरो (आईबीएम) ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी) गांधीनगर के सहयोग से विकसित किया है। वर्ष 2016-17 में एमएसएस की स्थापना के बाद से, परियोजना को ओडिशा सहित प्रमुख खनिज समृद्ध राज्यों में लागू किया गया था। एमएसएस खनन पट्टों के 500 मीटर के दायरे में भूमि के स्वरूप में होने वाले बदलावों का विश्लेषण करता है। यदि इसमें विसंगतियां पाई जाती हैं, तो अलर्ट जारी किए जाते हैं और जमीनी सत्यापन के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजे जाते हैं।

(ग) ओडिशा राज्य में महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार का व्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(घ) और (ड) महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संभावित खनन स्थलों की पहचान करने के लिए गवेषण कार्यक्रम में वृद्धि करने के लिए, भारतीय भौवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने चालू वर्ष 2024-25 में देश भर में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए 195 खनिज गवेषण परियोजनाएं शुरू की हैं। मंत्रालय ने राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) के माध्यम से खनिज गवेषण की विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण पर भी ध्यान केंद्रित किया है। अब तक, एनएमईटी ने वित वर्ष 2024-25 के दौरान महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज गवेषण की 72 परियोजनाओं को वित पोषित किया है। गवेषण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, खान मंत्रालय ने 32 निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) को अधिसूचित किया है। ये एजेंसियां एनएमईटी से वित पोषण के माध्यम से गवेषण परियोजनाएं शुरू कर रही हैं।

(च) और (छ) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को वर्ष 2015 में संशोधित किया गया था, ताकि प्रमुख खनिजों के संबंध में खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए ई-नीलामी की पारदर्शी एवं गैर-पक्षपाती पद्धति की शुरुआत की जा सके। अब तक ओडिशा सरकार ने 48 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है तथा केंद्र सरकार ने ओडिशा में महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों के 3 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है।

खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर), 2017 को खनिज संरक्षण, खनिजों के व्यवस्थित विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 18 के तहत तैयार किया गया था, ताकि पूर्वक्षण या खनन कार्यों के कारण होने वाले किसी भी प्रदूषण को रोका या नियंत्रित किया जा सके। एमसीडीआर (संशोधन) 2017 के नियम 12(1) के अनुसार, पूर्वक्षण और खनन कार्य इस तरह से किए जाएंगे ताकि खनिज

भंडारों का व्यवस्थित विकास, खनिजों का संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एमसीडीआर, 2017 के अध्याय V के तहत नियम 35 से 44 का प्रावधान सतत खनन के लिए किया गया है। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में खनन क्षेत्रों में सतत विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया है। इसके अलावा, सतत विकास ढांचे (एसडीएफ) को लागू करने के लिए, मंत्रालय ने खानों की स्टार रेटिंग की एक प्रणाली विकसित की है।

अनुलग्नक-।

ओडिशा राज्य में महत्वपूर्ण खनिजों के निक्षेप/संसाधन (दिनांक 01.04.2020 तक)

| क्र. सं. | खनिज | इकाई | निक्षेप | शेष संसाधन | कुल संसाधन |
|----------|-----------------------------|---------------------|----------|------------|------------|
| 1. | कोबाल्ट | मिलियन टन | 0 | 31 | 31 |
| 2. | ग्रेफाइट | टन | 2838414 | 17142707 | 19981121 |
| 3. | निकल | मिलियन टन | 0 | 175 | 175 |
| 4. | प्लैटिनम धातु समूह (पीजीएम) | टन में धातु सामग्री | 0 | 14 | 14 |
| 5. | दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई) | टन | 0 | 25493 | 25493 |
| 6. | टिन | | | | |
| | अयस्क | टन | 0 | 15618 | 15618 |
| | धातु | | 0 | 653 | 653 |
| 7. | टाइटेनियम | टन | 12654141 | 53019062 | 65673203 |
| 8. | वैनेडियम | | | | |
| | अयस्क | टन | 0 | 4864795 | 4864795 |
| | V_2O_5 निहित | | 0 | 13558 | 13558 |
| 9. | जिर्कोन | टन | 476672 | 390247 | 866919 |
| 10. | तांबा | | | | |
| | अयस्क | टन | 0 | 11991 | 11991 |
| | धातु | | 0 | 97 | 97 |

स्रोत: राष्ट्रीय खनिज सूची, 2020

अंकड़े पूर्णांकित हैं।